# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ( राज. )

अनवान – कलावती ............ बनाम ............ सोता आदि

किस्म मुकदमा :- 251(D) RTA ............ प्रकरण सं. :- 21/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18-02-2026 | पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उभय पक्ष उप०। प्रा०पत्र 251(D) RTA एवं प्रा.पत्र 01 R 10 CPC करवा। प० संदर्भ डिक्री डिक्री जारी हो विरुद्ध डिक्रि शामिल डिक्री जावे। तेवर से कहा। निर्णय [illegible] जावे।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena<br>Date: 2026.02.19 17:21:20 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ (राज.) | GCMS 2025/58 |

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 21/2025 Ams:-2025/58 दायर दिनांक : 27.01.2025

कलावती पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी ग्राम सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. सोना पत्नी तुफैल शाह जाति मुसलमान निवासी ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थीया
2. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक अप्रार्थीया सं. 1
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

## निर्णय

दिनांक : 18.02.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 191½ आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता सं. 2/2 के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.025 है0, 7/0.253 है0, 13/0.253 है0, 18/0.253 है0 = 1.012 है0 व पत्थर नं. 33/62 (18) के किला नं. 19 से 22 = 1.012 है0, कुल 2.024 है0 कमाण्ड—अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम से एवं इसी चक 191½ आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 37/32 के पत्थर नं. 33/54 (17) के किला नं. 7/0.253 है0, 17/2 में 0.228 है0, 24—25/0.506 है0 = 0.987 है0, पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 6/0.253 है0, 14 से 17/1.012 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/1 में 0.228 है0 = 1.974 है0 व पत्थर नं. 33/63 (27) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किला नं. 1/1 में 0.202 है0, 1/3 में 0.026 है0, 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 9/0.253 है0, 10/2 में 0.228 है0, 11/1 में 0.228 है0, 12/0.253 है0, 19/0.253 है0, 20/2 में 0.228 है0, 21/1 में 0.202 है0, 22/2 में 0.228 है0 = 2.354 है0, कुल 5.315 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीया सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 काबिज काश्त हैं। प्रार्थीया को अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 191½ आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 4/1 में 0.228 है0क0, 4/2 में 0.025 है0 खाला, 7/0.253 है0क0, 13/0.253 है0अ0क0, 18/0.253 है0अ0क0 = 1.012 है0 भूमि में आने–जाने व अपने कृषि यन्त्रों को लाने–ले जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रार्थीया ने अप्रार्थीया के नाम अंकित उक्त खातेदारी कृषि भूमि में से चक 191½ आर.डी.एल. के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 5/1 की 0.228 है0 कमाण्ड भूमि में से 0.013 है0 (उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत की जाने वाली भूमि की डी. एल.सी. दर से नियमानुसार बनने वाली राशि अप्रार्थीया सं. 1 को अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर मूल प्रार्थना–पत्र ही तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया सं. 1 के मार्फत अभिभाषक उपस्थित आने व उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किये जाने पर सुनवाई की गई। इसी मध्य कमला पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर उक्त पत्थर नम्बर की काश्तकार होने के कारण हितबद्ध पक्षकार होने से विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार बनाकर बतौर अप्रार्थी दर्ज किये जाने का निवेदन किया, जिसे शामिल [illegible] किया गया।

इस प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता [illegible] भी मौका निरीक्षण किया जाकर तर्क सुने गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हुए निवेदन किया कि दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार प्रार्थीया के नाम से चक 191½ आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 4/1 में 0.228 है0, 4/2 में 0.025 है0, 7/0.253 है0, 13/0.253 है0, 18/0.253 है0 = 1.012 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला भूमि में आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह रास्ता अप्रार्थीया के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि में से चक 191½ आर.डी.एल. के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 5/1 की 0.228 है0 कमाण्ड भूमि में से 0.013 है0 (उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) उपलब्ध हो सकता है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट नियमानुसार प्रस्तुत की गयी है, जो सही है। प्रार्थीया रास्ता में आयी भूमि के बदले में डी.एल.सी. दर से नियमानुसार बनने वाली राशि अप्रार्थीया सं. 1 को अदा करने के लिए तैयार है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र वास्ते पक्षकार बनने कमला पत्नी सन्तराम आधारहीन है। इसे निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. (27) 2020 पेज सं. 284 प्रस्तुत किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया सं. 1 की ओर से तर्क दिया गया कि मौका रिपोर्ट सही नहीं बनाई गयी। जांच अधिकारी द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं ? प्रार्थीया की कृषि भूमि में आवागमन हेतु पिछले 30–40 वर्षों से चक 191½ आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 7, 14, 17, 24 में रास्ता चल रहा है। इस तथ्य पर विचारण किया जाना चाहिए। रिपोर्ट तहसीलदार अप्रार्थीया सं. 1 की पीठ पीछे इकतरफा बनाई गयी है। अप्रार्थीया को रास्ता बाबत रिपोर्ट व जांच हेतु उपस्थित होने का किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है, स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीया भी पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 7, 14, 17, 24 से आवागमन कर रही है। यह रास्ता अन्य इसी पत्थर नम्बर के काश्तकारों हेतु सुविधाजनक है। एक पत्थर नम्बर के सभी काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध हो, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। एक ही पत्थर नम्बर में दो से अधिक काश्तकार होने पर सभी को रास्ता उपलब्ध हो, इस तथ्य का ध्यान भी रखा जाना आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा चाहे क्यों यह रास्ता सम्बन्धित पत्थर नम्बर के काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया, इस आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अधूरा होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित D.N.J. (Rev.) 2022 (2) पेज सं. 1327 प्रस्तुत किया।

उभय पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदरपूर्वक पठन व मनन करने पर पाया कि यह तथ्य सही है कि अप्रार्थीया सं. 1 को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय बजरिये सूचना तलब नहीं किया गया। मात्र जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर से इन्कार करने पर उनकी उपस्थिति नहीं मानी जा सकती। यह अंकन नोटिस तलबी के अभाव में संदिग्ध माना जाने योग्य है। द्वितीय, मौका नक्शा के अनुसार चक 191½ आर.डी.एल. के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 3 व 8 कमला पत्नी सन्तराम के दर्शाये गये हैं। यह काश्तकार अपनी कृषि भूमि तक पहुंच किस प्रकार बनायेगी, स्पष्ट नहीं। इसे प्रार्थीया द्वारा पक्षकार पूर्व में नहीं बनाया व आज भी पक्षकार नहीं बनाना चाहती। अप्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थीया अपनी भूमि की पहुंच पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 7, 14, 17, 24 से बना रही है। यह वैकल्पिक चालू भी बताया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भी पूर्ण जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा नहीं की गई। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। मौका पर मेरे द्वारा की गई मौका निरीक्षण में भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का तथ्य सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने व जांच रिपोर्ट अधूरी अप्रार्थीया सं. 1 के पीठ पीछे जांच संदिग्ध व अस्पष्ट होने से प्रार्थीया के कथन न्याय अवधारणा अनुसार सन्देह से परे सिद्ध ना होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया बाबत रास्ता स्वीकृति चक 191½ आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 33/55 (28) के किला नं. 5 से किला नं. 4 तक निरस्त किया जाता है। इसी अनुसार कमला पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया निरस्त होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक ...18..02.2026... को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)